

पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)
(पूर्वांचल विद्युत भवन, विद्युत नगर, डी०एल०डब्लू०, वाराणसी-221004)

सार्वजनिक सूचना

माननीय उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने आदेश सं-UPERC/Secy/D(Tariff)Hearing/2020-21-922 दिनांक 02.09.2020 ने उ0प्र0पा0का0लि0 के पत्र सं-427 /आर0ए0य० /एआरआर 2020-21 दिनांक 01.09.2020 द्वारा प्रस्तुत वितरण निगमों हेतु समान दर के अंतर्गत उपभोक्ता श्रेणी/उपश्रेणी/स्लैब के सरलीकरण प्रस्ताव को वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु चल रही एआरआर/टेरिफ कार्यवाही के भाग के रूप में प्रकाशित करने का निर्देश दिया है।

मा० आयोग के उक्त आदेश के अनुपालन में उपभोक्ता श्रेणी/उपश्रेणी/स्लैब के सरलीकरण प्रस्ताव में प्रस्तावित परिवर्तन स्टेक होल्डर्स, विद्युत उपभोक्ताओं एवं सामान्य जनता की जानकारी के लिए निम्नवत् सूचित किये जाते हैं :

उपभोक्ता श्रेणी/उप श्रेणी/स्लैब के प्रस्तावित सरलीकरण का वर्तमान टैरिफ आदेश से तुलनात्मक विवरण

वर्तमान टैरिफ़ आदेश 2019-20 के अनुसार		उपभोक्ता श्रेणी/उप श्रेणी/स्लैब के प्रस्तावित सरलीकरण के अनुसार (वर्ष 2019-20 के अनुमोदित दर पर आधारित)		
उपभोक्ता श्रेणी/उप श्रेणी/स्लैब/	अनुमोदित टैरिफ़ (टैरिफ़ आदेश विठ्ठल 2019-20 दिनांक 03.09.2019)	उपभोक्ता श्रेणी/उप श्रेणी/स्लैब/	नई/विलय श्रेणी/उप श्रेणी/स्लैब का संशोधित टैरिफ़	
एल0एम0वी0-1	घरेलू बत्ती, पंखा क—ग्रामीण आपूर्ति (1) लाइफ लाइन उपभोक्ता: संविदाभार 1 किठांवा 0 एवं उपभोग 100 यूनिट प्रति माह तक फिक्स्ड चार्ज रु0 50 प्रति किठांवा प्रति माह इनजी चार्ज (0-100 यूनिट) (2) मीटर रहित संयोजन सभी भार रु0 600 प्रति किठांवा प्रति माह (3) मीटर सहित संयोजन फिक्स्ड चार्ज रु0 90 प्रति किठांवा प्रति माह इनजी चार्ज प्रथम 100 यूनिट/प्रति माह तक 101 से 150 यूनिट/प्रति माह तक 151 से 300 यूनिट/प्रति माह तक 301 से 500 यूनिट/प्रति माह तक 500 यूनिट/माह से अधिक ख—सिंगल प्लाइट बल्क लोड फिक्स्ड चार्ज रु0 110 प्रति किठांवा प्रति माह इनजी चार्ज	एल0एम0वी0-1	घरेलू बत्ती, पंखा क—ग्रामीण आपूर्ति (1) लाइफ लाइन उपभोक्ता: संविदाभार 1 किठांवा 0 एवं उपभोग 100 यूनिट प्रति माह तक फिक्स्ड चार्ज रु0 50 प्रति किठांवा प्रति माह इनजी चार्ज (0-100 यूनिट) (2) मीटर रहित संयोजन सभी भार रु0 500 प्रति किठांवा प्रति माह (3) मीटर सहित संयोजन फिक्स्ड चार्ज रु0 90 प्रति किठांवा प्रति माह इनजी चार्ज प्रथम 100 यूनिट/प्रति माह तक 101 से 300 यूनिट/प्रति माह तक 300 यूनिट/प्रति माह तक से अधिक रु0 4.40 प्रति यूनिट ख—सिंगल प्लाइट बल्क लोड फिक्स्ड चार्ज रु0 110.00 प्रति किठांवा प्रति माह इनजी चार्ज रु0 7.00 प्रति यूनिट	नई/विलय श्रेणी/उप श्रेणी/स्लैब का संशोधित टैरिफ़
ग—अन्य मीटर सहित संयोजन (1) लाइफ लाइन उपभोक्ता: संविदाभार 1 किठांवा 0 एवं उपभोग 100 यूनिट प्रति माह तक फिक्स्ड चार्ज रु0 50 प्रति किठांवा प्रति माह इनजी चार्ज (0-100 यूनिट) (2) अन्य मीटर सहित संयोजन (सभी भार के लिए) फिक्स्ड चार्ज रु0 110 प्रति किठांवा प्रति माह इनजी चार्ज प्रथम 150 यूनिट/प्रति माह तक 151 से 300 यूनिट/प्रति माह तक 301 से 500 यूनिट/प्रति माह तक 500 यूनिट/प्रति माह से अधिक	ग—अन्य मीटर सहित संयोजन (1) लाइफ लाइन उपभोक्ता: संविदाभार 1 किठांवा 0 एवं उपभोग 100 यूनिट प्रति माह तक फिक्स्ड चार्ज रु0 50 प्रति किठांवा प्रति माह इनजी चार्ज (0-100 यूनिट) (2) अन्य मीटर सहित संयोजन (सभी भार के लिए) फिक्स्ड चार्ज रु0 110 प्रति किठांवा प्रति माह इनजी चार्ज प्रथम 100 यूनिट/प्रति माह तक 101 से 300 यूनिट/प्रति माह तक 300 यूनिट/प्रति माह तक रु0 5.60 प्रति यूनिट			
एल0एम0वी0-2	वाणिज्यिक बत्ती, पंखा क—ग्रामीण आपूर्ति (1) मीटर रहित संयोजन फिक्स्ड चार्ज रु0 1000 प्रति किठांवा प्रति माह (2) मीटर सहित संयोजन फिक्स्ड चार्ज रु0 110 प्रति किठांवा प्रति माह इनजी चार्ज	एल0एम0वी0-2	वाणिज्यिक बत्ती, पंखा क—ग्रामीण आपूर्ति (1) मीटर सहित संयोजन फिक्स्ड चार्ज रु0 110 प्रति किठांवा प्रति माह इनजी चार्ज	समाप्त/खत्म
ख—निजी विज्ञापन/साइन बोर्ड/साइन पोर्ट/ग्लो साइन/फ्लेक्स मीटर सहित संयोजन फिक्स्ड चार्ज — इनजी चार्ज रु0 18.00 प्रति यूनिट न्यूनतम चार्ज रु0 1800 प्रति किठांवा प्रति माह	ख—निजी विज्ञापन/साइन बोर्ड/साइन पोर्ट/ग्लो साइन/फ्लेक्स यह श्रेणी उप श्रेणी (ग) के साथ सम्मिलित कर दी गयी।	ख—निजी विज्ञापन/साइन बोर्ड/साइन पोर्ट/ग्लो साइन/फ्लेक्स यह श्रेणी 100 यूनिट/माह तक 101 से 300 यूनिट/प्रति माह तक 300 से अधिक यूनिट/प्रति माह तक फिक्स्ड चार्ज (4 किठांवा 0 भार तक) (रु0 प्रति किठांवा 0 प्रति माह) इनजी चार्ज 2 किठांवा 0 तक रु0 330 प्रति किठांवा 0 प्रति माह 2 से 4 किठांवा 0 तक रु0 390 प्रति किठांवा 0 प्रति माह 4 किठांवा 0 से अधिक रु0 450 प्रति किठांवा 0 प्रति माह इनजी चार्ज प्रथम 300 यूनिट/माह रु0 7.50 प्रति यूनिट 300 से 1000 यूनिट/माह रु0 8.40 प्रति यूनिट 1000 यूनिट/माह से अधिक रु0 8.75 प्रति यूनिट न्यूनतम चार्ज रु0 600 / किठांवा 0 / माह (अप्रैल से सितम्बर) रु0 475 / किठांवा 0 / माह (अक्टूबर से मार्च)	ग—अन्य मीटर सहित संयोजन फिक्स्ड चार्ज रु0 360 इनजी चार्ज 100 यूनिट/माह तक 101 से 300 यूनिट/प्रति माह तक 300 से अधिक यूनिट/प्रति माह तक फिक्स्ड चार्ज (4 किठांवा 0 भार के ऊपर) (रु0 प्रति किठांवा 0 प्रति माह) इनजी चार्ज 1000 यूनिट/माह तक 1000 यूनिट/माह से अधिक(रु प्रति यूनिट) 1000 यूनिट/माह (अप्रैल से सितम्बर) रु0 7.80 प्रति यूनिट रु0 7.75 प्रति यूनिट रु0 600 / किठांवा 0 / माह (अप्रैल से सितम्बर) रु0 475 / किठांवा 0 / माह (अक्टूबर से मार्च)	

एल0एम0वी0-3	सार्वजनिक प्रकाश		एल0एम0वी0-3	सार्वजनिक प्रकाश	
(1) मीटर रहित संयोजन			(1) मीटर रहित संयोजन		
ग्राम पंचायत	रु0 2100 प्रति किवाठा या भाग पर प्रति माह		ग्राम पंचायत ,नगर पालिका,नगर पंचायत एवं नगर निगम(रु0 प्रति किवाठा प्रति माह)		रु0 3385.00
नगर पालिका / नगर पंचायत	रु0 3200 प्रति किवाठा या भाग पर प्रति माह				
नगर निगम	रु0 4200 प्रति किवाठा या भाग पर प्रति माह				
(2) मीटर सहित संयोजन			(2) मीटर सहित संयोजन		
फिक्स्ड चार्ज			फिक्स्ड चार्ज		
ग्राम पंचायत	रु0 200 प्रति किवाठा प्रति माह		ग्राम पंचायत ,नगर पालिका,नगर पंचायत एवं नगर निगम(रु0 प्रति किवाठा प्रति माह)		रु0 245.00
नगर पालिका / नगर पंचायत	रु0 250 प्रति किवाठा प्रति माह				
नगर निगम	रु0 250 प्रति किवाठा प्रति माह				
इनर्जी चार्ज			इनर्जी चार्ज		
ग्राम पंचायत	रु0 7.50 प्रति यूनिट		ग्राम पंचायत ,नगर पालिका, नगर पंचायत एवं नगर निगम (रु0 प्रति यूनिट)		रु0 8.35
नगर पालिका / नगर पंचायत	रु0 8.00 प्रति यूनिट				
नगर निगम	रु0 8.50 प्रति यूनिट				
टाईम ऑफ द डे (% इनर्जी चार्ज)			टाईम ऑफ द डे (% इनर्जी चार्ज)		
18:00 से 06:00 बजे तक	0%		18:00 से 06:00 बजे तक		0%
06:00 से 18:00 बजे तक	(+20%)		06:00 से 18:00 बजे तक		(+20%)
एल0एम0वी0-4	निजी एवं सार्वजनिक संस्थाएँ		एल0एम0वी0-4	निजी एवं सार्वजनिक संस्थाएँ	
अ-सार्वजनिक संस्थाएँ			अ-सार्वजनिक संस्थाएँ		
फिक्स्ड चार्ज	रु0 300 प्रति किवाठा प्रति माह		फिक्स्ड चार्ज (सभी भार) प्रति किवाठा प्रति माह (रु0 प्रति किवाठा प्रति माह)	रु0 300	
इनर्जी चार्ज			इनर्जी चार्ज (रु0 प्रति यूनिट)	रु0 8.40	
प्रथम 1000 यूनिट प्रति माह	रु0 8.25 प्रति यूनिट				
1001-2000 यूनिट प्रति माह	रु0 8.50 प्रति यूनिट				
2000 यूनिट प्रति माह से अधिक	रु0 8.75 प्रति यूनिट				
ब-निजी संस्थाएँ			ब-निजी संस्थाएँ		
फिक्स्ड चार्ज					
3 किवाठा तक	रु0 350 प्रति किवाठा प्रति माह		फिक्स्ड चार्ज (सभी भार) प्रति किवाठा प्रति माह	रु0 375	
3 किवाठा से अधिक	रु0 400 प्रति किवाठा प्रति माह				
इनर्जी चार्ज			इनर्जी चार्ज (रु0 प्रति यूनिट)		
प्रथम 1000 यूनिट प्रति माह	रु0 9.00 प्रति यूनिट		निजी शिक्षण संस्थाएँ	रु0 8.50	
1000 यूनिट प्रति माह से अधिक	रु0 9.30 प्रति यूनिट		अन्य निजी संस्थाएँ	रु0 9.50	
एल0एम0वी0-5	निजी नलकृप		एल0एम0वी0-5	निजी नलकृप	
क-ग्रामीण आपूर्ति			क-ग्रामीण आपूर्ति		
(1) मीटर रहित संयोजन			(1) मीटर रहित संयोजन		
फिक्स्ड चार्ज	रु0 170 प्रति बी0एच०पी0 प्रति माह		फिक्स्ड चार्ज	रु0 170 प्रति बी0एच०पी0 प्रति माह	
(2) मीटर सहित संयोजन			(2) मीटर सहित संयोजन		
फिक्स्ड चार्ज	रु0 70 प्रति बी0एच०पी0 प्रति माह		फिक्स्ड चार्ज	रु0 70 प्रति बी0एच०पी0 प्रति माह	
इनर्जी चार्ज	रु0 2.00 प्रति यूनिट		इनर्जी चार्ज	रु0 2.00 प्रति यूनिट	
न्यूनतम चार्ज	रु0 160 प्रति बी0एच०पी0 प्रति माह		न्यूनतम चार्ज	रु0 160 प्रति बी0एच०पी0 प्रति माह	
(3) इनर्जी एफिशियेन्ट पम्प			(3) इनर्जी एफिशियेन्ट पम्प		
फिक्स्ड चार्ज	रु0 70 प्रति बी0एच०पी0 प्रति माह		फिक्स्ड चार्ज	रु0 70 प्रति बी0एच०पी0 प्रति माह	
इनर्जी चार्ज	रु0 1.65 प्रति यूनिट		इनर्जी चार्ज	रु0 1.65 प्रति यूनिट	
न्यूनतम चार्ज	रु0 140 प्रति बी0एच०पी0 प्रति माह		न्यूनतम चार्ज	रु0 140 प्रति बी0एच०पी0 प्रति माह	
ख-शहरी आपूर्ति			ख-शहरी आपूर्ति		
फिक्स्ड चार्ज	रु0 130 प्रति बी0एच०पी0 प्रति माह		फिक्स्ड चार्ज	रु0 130 प्रति बी0एच०पी0 प्रति माह	
इनर्जी चार्ज	रु0 6.00 प्रति यूनिट		इनर्जी चार्ज	रु0 6.00 प्रति यूनिट	
न्यूनतम चार्ज	रु0 215 प्रति बी0एच०पी0 प्रति माह		न्यूनतम चार्ज	रु0 215 प्रति बी0एच०पी0 प्रति माह	
बुन्देलखण्ड क्षेत्र के ग्रामसमा मे स्थित निजी नलकृप उपमोक्ताओं को, जबतक मीटर स्थापित नहीं हो जाता है, न्यूनतम राशि रु0 170 /बी0एच०पी0 /माह का भुगतान करना होगा। रेगुलेटरी सरचार्ज, विद्युत कर एवं टैक्सेज इत्यादि अतिरिक्त देय होंगे।			बुन्देलखण्ड क्षेत्र के ग्रामसमा मे स्थित निजी नलकृप उपमोक्ताओं को, जबतक मीटर स्थापित नहीं हो जाता है, न्यूनतम राशि रु0 170 /बी0एच०पी0 /माह का भुगतान करना होगा। रेगुलेटरी सरचार्ज, विद्युत कर एवं टैक्सेज इत्यादि अतिरिक्त देय होंगे।		
एल0एम0वी0-6	लघु एवं मध्यम उद्योग		एल0एम0वी0-6	लघु एवं मध्यम उद्योग	
क-शहरी आपूर्ति			क-शहरी आपूर्ति		
फिक्स्ड चार्ज	रु0 290 प्रति किवाठा प्रति माह		फिक्स्ड चार्ज (सभी भार) प्रति किवाठा प्रति माह (रु0 प्रति किवाठा प्रति माह)	रु0 290	
इनर्जी चार्ज			इनर्जी चार्ज		
1000 यूनिट/ माह तक	रु0 7.30 प्रति यूनिट समस्त उपमोग पर		20 किवाठा प्रति यूनिट समस्त उपमोग पर	रु0 7.35	
2000 यूनिट/ माह तक	रु0 7.40 प्रति यूनिट समस्त उपमोग पर		20 किवाठा प्रति यूनिट समस्त उपमोग पर	रु0 7.90	
2000 यूनिट/ माह से अधिक	रु0 7.90 प्रति यूनिट समस्त उपमोग पर				
टाईम ऑफ द डे (% इनर्जी चार्ज)			टाईम ऑफ द डे (% इनर्जी चार्ज)		
गर्भियों हेतु (अप्रैल से सितम्बर)			गर्भियों हेतु (अप्रैल से सितम्बर)		
05:00 से 11:00 बजे तक	(-) 15%		05:00 से 11:00 बजे तक	(-) 15%	
11:00 से 17:00 बजे तक	0		11:00 से 17:00 बजे तक	0	
17:00 से 23:00 बजे तक	(+) 15%		17:00 से 23:00 बजे तक	(+) 15%	
23:00 से 05:00 बजे तक	0		23:00 से 05:00 बजे तक	0	
सर्वियों हेतु (अक्टूबर से मार्च)			सर्वियों हेतु (अक्टूबर से मार्च)		
05:00 से 11:00 बजे तक	0		05:00 से 11:00 बजे तक	0	
11:00 से 17:00 बजे तक	0		11:00 से 17:00 बजे तक	0	
17:00 से 23:00 बजे तक	(+) 15%		17:00 से 23:00 बजे तक	(+) 15%	
23:00 से 05:00 बजे तक	(-) 15%		23:00 से 05:00 बजे तक	(-) 15%	

	ख—ग्रामीण आपूर्ति उपभोक्ता	ग्रामीण आपूर्तित उपभोक्ताओं को शहरी आपूर्ति पर लागू दर पर 7.5 प्रतिशत की छूट बिना टी०ओ०डी० रेट के अनुमन्य। इस श्रेणी में कोई भी टी०ओ०डी० दर लागू नहीं होगी।		ख—ग्रामीण आपूर्ति उपभोक्ता	ग्रामीण आपूर्तित उपभोक्ताओं को शहरी आपूर्ति पर लागू दर पर 7.5 प्रतिशत की छूट बिना टी०ओ०डी० रेट के अनुमन्य। इस श्रेणी में कोई भी टी०ओ०डी० दर लागू नहीं होगी।
एल०एम०वी०-७	जलकल		एल०एम०वी०-७ तथा एल०एम०वी०-८ एवं एल०एम०वी०-८	जलकल, राजकीय नलकूप, पंचायतीराज नलकूप तथा पम्प कैनाल	
	क—शहरी आपूर्ति			क—शहरी आपूर्ति	
	फिक्स्ड चार्ज	रु० 375 प्रति किं०वा० प्रति माह		फिक्स्ड चार्ज (रु० प्रति किं०वा० प्रति माह)	रु० 375.00
	इनर्जी चार्ज	रु० 8.60 प्रति यूनिट		इनर्जी चार्ज	रु० 8.60
	ख—ग्रामीण आपूर्ति	ग्रामीण आपूर्तित उपभोक्ताओं को शहरी आपूर्ति पर लागू दर पर 7.5 प्रतिशत की छूट अनुमन्य।		ख—ग्रामीण आपूर्ति	
एल०एम०वी०-८	राजकीय नलकूप, पंचायतीराज नलकूप तथा पम्प कैनाल			राजकीय नलकूप, पंचायतीराज नलकूप तथा पम्प कैनाल	
	(1) भीटर सहित संयोजन			भीटर सहित संयोजन	
	फिक्स्ड चार्ज	रु० 330 प्रति बी०एच०पी० प्रति माह		फिक्स्ड चार्ज	शहरी ऑरिफ की दरों पर 7.5प्रतिशत कि छूट बिना टी०ओ०डी० दरों के साथ।
	इनर्जी चार्ज	रु० 8.50 प्रति यूनिट		इनर्जी चार्ज	
	(2) भीटर रहित संयोजन			राजकीय नलकूप, पंचायतीराज नलकूप तथा पम्प कैनाल	
	फिक्स्ड चार्ज	रु० 3300 प्रति बी०एच०पी० प्रति माह		फिक्स्ड चार्ज (रु० प्रति किं०वा० प्रति माह)	रु० 4450.00
एल०एम०वी०-९	अस्थायी संयोजन		एल०एम०वी०-९	अस्थायी संयोजन	
	(1) भीटर रहित संयोजन			(1) भीटर रहित संयोजन	
	फिक्स्ड चार्ज	रु० 4750 प्रति दिन		फिक्स्ड चार्ज	रु० 4750.00
	क. सार्वजनिक प्रकाश, उदधोषणा एवं समारोह (भार 20कि.वा. प्रति संयोजन तक एवं रु० 100 / किं०वा० / दिन प्रत्येक अतिरिक्त किं०वा० भार के लिए)			क. सार्वजनिक प्रकाश, उदधोषणा एवं समारोह (भार 20कि.वा. प्रति संयोजन तक एवं रु० 100 / किं०वा० / दिन प्रत्येक अतिरिक्त किं०वा० भार के लिए)	
	ख. फिक्स्ड चार्ज: मेलों / त्योहारों में अस्थायी दुकान (2कि.वा. भार तक)	रु० 560 प्रति दिन प्रति दुकान		ख. सार्वजनिक प्रकाश, उदधोषणा एवं समारोह (भार 20कि.वा. प्रति संयोजन तक एवं रु० 100 / किं०वा० प्रत्येक अतिरिक्त किं०वा० भार के लिए) (एक दिन से अधिक 15 दिनों तक) रु प्रति दिन	रु० 2500.00
				ग. फिक्स्ड चार्ज: मेलों / त्योहारों में अस्थायी दुकान (2कि.वा. भार तक)	रु० 560.00
	ग. बुन्देलखण्ड क्षेत्र के ऐसे निझी नलकूप उपभोक्ता जिनको विद्युत की आवश्यकता रखी फसल के लिये है (माह नवम्बर से माह फरवरी तक)	रु० 500 प्रति बी०एच०पी० प्रति माह		घ. बुन्देलखण्ड क्षेत्र के ऐसे निझी नलकूप उपभोक्ता जिनको विद्युत की आवश्यकता रखी फसल के लिये है (माह नवम्बर से माह फरवरी तक)	रु० 500 प्रति बी०एच०पी० प्रति माह
	(2) भीटर सहित संयोजन			(2) भीटर सहित संयोजन	
	(1) व्यवित्रण आवासीय निर्माण डेशू			भीटर सहित उप श्रेणी समाप्त करके सम्बन्धित भूल श्रेणी में डाल दी गयी है। दर मूल श्रेणी का 125 प्रतिशत / 150 प्रतिशत होगा।	
	फिक्स्ड चार्ज	रु० 200 प्रति किं०वा० प्रति माह			
	इनर्जी चार्ज	रु० 8.00 प्रति यूनिट, तुरीय वर्ष से आगे के लिए वर्तमान लागू दर तथा 10 प्रतिशत अतिरिक्त			
	(2) अन्य				
	फिक्स्ड चार्ज	रु० 300 प्रति किं०वा० प्रति माह			
	इनर्जी चार्ज	रु० 9.00 प्रति यूनिट, तुरीय वर्ष से आगे के लिए वर्तमान लागू दर तथा 10 प्रतिशत अतिरिक्त			
	न्यूनतम चार्ज	रु० 450 प्रति किं०वा० / सप्ताह			
एल०एम०वी०-१०	विभागीय उपभोक्ता		एल०एम०वी०-१०	विभागीय उपभोक्ता	
	इस श्रेणी की दरें एल०एम०वी०-१ के अन्य भीटर्ड उपभोक्ताओं की भाँति होगी।				
एल०एम०वी०-११	इलेक्ट्रिक वेडिकिल चार्जिंग		एल०एम०वी०-११	इलेक्ट्रिक वेडिकिल चार्जिंग	
	1. घरेलू उपभोक्ता			1. घरेलू उपभोक्ता	
	एल०एम०वी०-१ से आच्छादित सभी भीटर्ड घरेलू उपभोक्ता अपने आवास पर अपनी इलेक्ट्रिक वेडिकिल चार्ज करने के लिये अनुमन्य होंगे, बरतें इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर भार के कारण जुड़े / अनुबन्धित भार का उल्लंघन न होता हो।		एल०एम०वी०-१ से आच्छादित सभी भीटर्ड घरेलू उपभोक्ता अपने आवास पर अपनी इलेक्ट्रिक वेडिकिल चार्ज करने के लिये अनुमन्य होंगे, बरतें इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर भार के कारण जुड़े / अनुबन्धित भार का उल्लंघन न होता हो।		
	2. बहुमजिला इमारत (एल०एम०वी०-१बी एवं एच०पी०-१बी रेट शेड्यूल के अन्तर्गत)			2. बहुमजिला इमारत (एल०एम०वी०-१बी एवं एच०पी०-१बी रेट शेड्यूल के अन्तर्गत)	
	एल. एम. वी- 1 बी.	डिमाइंड चार्ज- शूच्य, इनर्जी चार्ज- रु० 6.20 प्रति यूनिट		एल. एम. वी- 1 बी.	डिमाइंड चार्ज- शूच्य, इनर्जी चार्ज- रु० 6.20 प्रति यूनिट
	एच. वी. - 1 बी.	डिमाइंड चार्ज- शूच्य, इनर्जी चार्ज- रु० 5.90		एच. वी. - 1 बी.	डिमाइंड चार्ज- शूच्य, इनर्जी चार्ज- रु० 5.90
	3. सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन			3. सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन	
	सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन (एल. टी.)	डिमाइंड चार्ज- शूच्य, इनर्जी चार्ज- रु० 7.70 प्रति यूनिट, टी.ओ.डी. के साथ।		सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन (एल. टी.)	डिमाइंड चार्ज- शूच्य, इनर्जी चार्ज- रु० 7.70 प्रति यूनिट, टी.ओ.डी. के साथ।
	सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन (एच. टी.)	डिमाइंड चार्ज- शूच्य, इनर्जी चार्ज- रु० 7.30 प्रति यूनिट, टी.ओ.डी. के साथ।		सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन (एच. टी.)	डिमाइंड चार्ज- शूच्य, इनर्जी चार्ज- रु० 7.30 प्रति यूनिट, टी.ओ.डी. के साथ।
	4. अन्य उपभोक्ता			4. अन्य उपभोक्ता	
	अन्य श्रेणी के उपभोक्ताओं (एल०एम०वी०-२ (ए) भीटर्ड, एल०एम०वी०-२ (सी), एल०एम०वी०-४, एल०एम०वी०-६, एल०एम०वी०-७, एल०एम०वी०-८ (भीटर्ड), एच०पी०-१, (एल०एम०वी०-१बी एवं एच०पी०-१बी रेट शेड्यूल के अन्तर्गत बहुमजिला इमारतों को छोड़कर) एच०पी०-२, एच०पी०-३ और एच०पी०-४) से उनकी सम्बन्धित श्रेणी के लिए लागू ईरिंग के अनुसार शुल्क लिया जाएगा या दूसरे शब्दों में ऐसे उपभोक्ताओं को अलग से विद्युत संयोजन लेने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे विद्युत उपभोक्ता अपने संयोजन के अन्तर्गत चार्जिंग कर सकते हैं, बार्टें इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर के भार के कारण जुड़े / अनुबन्धित भार का उल्लंघन न होता हो।		अन्य श्रेणी के उपभोक्ताओं (एल०एम०वी०-२ (ए) भीटर्ड, एल०एम०वी०-२ (सी), एल०एम०वी०-४, एल०एम०वी०-६, एल०एम०वी०-७, एल०एम०वी०-८ (भीटर्ड), एच०पी०-१, (एल०एम०वी०-१बी एवं एच०पी०-१बी रेट शेड्यूल के अन्तर्गत बहुमजिला इमारतों को छोड़कर) एच०पी०-२, एच०पी०-३ और एच०पी०-४) से उनकी सम्बन्धित श्रेणी के लिए लागू ईरिंग के अनुसार शुल्क लिया जाएगा या दूसरे शब्दों में ऐसे उपभोक्ताओं को अलग से विद्युत संयोजन लेने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे विद्युत उपभोक्ता अपने संयोजन के अन्तर्गत चार्जिंग कर सकते हैं, बार्टें इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर के भार के कारण जुड़े / अनुबन्धित भार का उल्लंघन न होता हो।		

(ख)	इनर्जी चार्ज		(ख)	इनर्जी चार्ज	
	आपूर्ति 11 के.वी. पर	रु0 8.50 प्रति के.वी.ए.एच		आपूर्ति 11 के.वी. पर	रु0 8.50 प्रति के.वी.ए.एच
	आपूर्ति 11 के.वी. से अधिक तथा 66 के.वी. तक	रु0 8.40 प्रति के.वी.ए.एच		आपूर्ति 11 के.वी. से अधिक तथा 66 के.वी. तक	रु0 8.40 प्रति के.वी.ए.एच
	आपूर्ति 66 के.वी. से अधिक 132 के.वी. तक	रु0 8.25 प्रति के.वी.ए.एच		आपूर्ति 66 के.वी. से अधिक 132 के.वी. तक	रु0 8.25 प्रति के.वी.ए.एच
(ग)	न्यूनतम चार्ज	रु0 1125 प्रति के.वी.ए. प्रति माह	(ग)	न्यूनतम चार्ज	रु0 1125 प्रति के.वी.ए. प्रति माह

नोट-

- सरलीकरण प्रस्ताव माझ आयोग को वर्ष 2020-21 के ए0आर0आर0 प्रस्ताव में प्रस्तुत विलिंग डिटरमिनेन्ट तथा माझ आयोग द्वारा पाचों वितरण निगमों हेतु अनुमोदित वर्तमान टैरिफ आदेश दिनांक 03.09.2019 पर आधारित है।
- सभी पाँच वितरण अनुज्ञातिधारियों हेतु समेकित आधार पर टैरिफ श्रेणी सरलीकरण प्रस्ताव वर्ष 2020-21 के सम्पूर्ण राजस्व निष्प्रभावीकरण एवं माझ आयोग द्वारा अनुमोदित वर्तमान टैरिफ पर आधारित हैं तथा यह वर्ष वितरण अनुज्ञातिधारियों की 2020-21 के ए0आर0आर0 याचिकाओं में प्रस्तावित राजस्व अन्तर की पूर्ति नहीं करता है।
- टैरिफ श्रेणी सरलीकरण प्रस्ताव वर्ष 2020-21 के लिए दर पुनरीक्षण प्रस्ताव नहीं है तथा कुछ श्रेणी/उपश्रेणी/स्लैब में प्रस्तावित परिवर्तन वर्ष 2020-21 के समेकित आधार पर राजस्व निष्प्रभावीकरण प्राप्ति के सीमित उददेश्य हेतु है। दर पुनरीक्षण प्रस्ताव के सम्बन्ध में माननीय आयोग से वितरण अनुज्ञातिधारियों को इस सम्बन्ध में प्रस्तुत उत्तर के अनुसार विचार करने का अनुरोध किया गया है।

समस्त स्टेक-होल्डर, सामान्य जनता तथा सभी उपभोक्ता समय-समय पर लाइसेन्सी द्वारा संबंधित कार्यवाही हेतु प्रेषित आगामी अभिलेखों की अद्यतन जानकारी निगम की वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं।

सभी सम्बन्धित उपभोक्ता, संस्था, अनुज्ञातिधारक और सरकार के विभाग अपने प्रतिवेदन नोटराइज़ड शपथपत्र के साथ छह प्रतियों में जिसमें चार प्रति सविव, उ0प्र० विद्युत नियामक आयोग, विद्युत नियामक भवन, विभूती खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ को तथा दो प्रतियों प्रबन्ध निदेशक पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम पूर्वांचल विद्युत भवन, विद्युत नगर, डी0एल0डब्लू0, वाराणसी-221004 को इस सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन के 15 दिनों में प्रेषित कर सकते हैं।

प्रबन्ध निदेशक
पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0

राष्ट्रहित में बिजली बचायें